


फर्द अहकाम

रामचन्द्र बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण वगैऱे

ना पत्र संख्या: 125/2023

या	दिनांक	आज्ञा विरतृत रूप से	विशेष विवरण
	25.04.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन खाडा, गत खसरा नम्बर 115 रकबा 0.32 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी से बना है भूप्रबन्ध विभाग द्वारा लापरवाही बरतकर उक्त वर्णित भूमि की किस्म मनमर्जी से गैर मुमकिन आबादी से बदलकर गैर मुमकिन खाडा दर्ज कर दी गयी जो कि गलत एव विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत महापुरा द्वारा प्रार्थी के पिता देववक्स एवं चाचा रामनारायण के नाम आबादी भूमि का पट्टा जारी किया था, पट्टे में पश्चिम दिशा में बाडा गौर मवेशी पट्टेधारी अंकित है जो हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर की भूमि है, प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि को बाडा गौर मवेशी व रहवास के रूप में निरन्तर पूर्वजों के काल से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। भू-प्रबन्ध विभाग को भूमि की किस्म बदलने का हक अधिकार नहीं है हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर में गलत अंकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को बदलकर पूर्व राजस्व रिकार्ड की भाती गैर मुमकिन आबादी अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार संशोधन हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2023 को निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आप सक्षम न्यायालय में आवेदन कर संशोधन करवा लेवे तब माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र मये शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर में गलत अंकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को संशोधित कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन आबादी अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।</p> <p>पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थी पत्रावली में सुनी गयी। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर में गलत अंकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को संशोधित कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन आबादी अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।</p>	


 उपप्रबन्ध अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांमान्य)




रामचन्द्र बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या: 125/2023

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम नृहिसपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 0.02 हैक्टर मे गलत अंकित भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाडा को संशोधन कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन आबादी अंकित करने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)